न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 609/2011 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. छोटू पुत्र बालु जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. श्यामलाल पुत्र बालु जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. मूली बेवा बालु जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. लाली पुत्री श्री बालु जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. सुदी पुत्री श्री बालु जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. रूपा वल्द रतना जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. श्रवण पिता रतना जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. गांगीलाल वल्द भैरू जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. डूंगर वल्द भैरू जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. किशन पिता भैरू जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
11. जमनी बेवा भैरू जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
12. प्रेम पुत्री भैरू जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
13. पानी पुत्री भैरू जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
14. दुर्गा पुत्री भैरू जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
15. बरदा, वल्द पिता लालु जी तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

---प्रार्थीगण

बनाम

1. जयशंकर पुत्र सोहनलाल जी ब्राम्हण आयु वयस्क पेशा पेंशनर निवासी खेरमालिया तहसील छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़
2. गोकल पुत्र रतना तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तह. व जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय–

   2/1 रोशन लाल पुत्र गोकल तेली उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

   2/2 इन्द्रा पुत्री गोकल तेली पत्नी जमनालाल तेली उम्र वयस्क निवासी सोनी हॉस्पीटल के पास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

   2/3 पारी पुत्री गोकल तेली पत्नी श्यामल लाल तेली उम्र वयस्क निवासी जयाखेड़ा बडलियास के पास तह0 कोटड़ी एवं जिला भीलवाड़ा

   2/4 विमला पुत्री गोकल तेली पत्नी लहरू तेली उम्र वयस्क निवासी गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

   2/5 देव किशन पुत्र गोकल तेली उम्र अवयस्क बविलायत भाई रोशनलाल तेली निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रामा पुत्र लालू तेली आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी पुर तह. व जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री अमित कोठारी प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री भैरू लाल बाफना अप्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक– 26/6/2025

वादी द्वारा दिनांक 14.11.2011 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र कम संख्या 609/2011 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी की गई तथा विधिक प्रकिया प्रारम्भ की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

26/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त उनवान का एक वादपत्र वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध आप न्यायालय के समक्ष काफी ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है जो अवश्यमेव वादीगण के पक्ष में डिक्री होगा। किन्तु वाद के निर्णय में अभी समय लगेगा, इस हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को सही ढंग से समझने के लिये प्रार्थीगण के परिवार का शजरा दिया जाना आवश्यक है जो निम्न है-

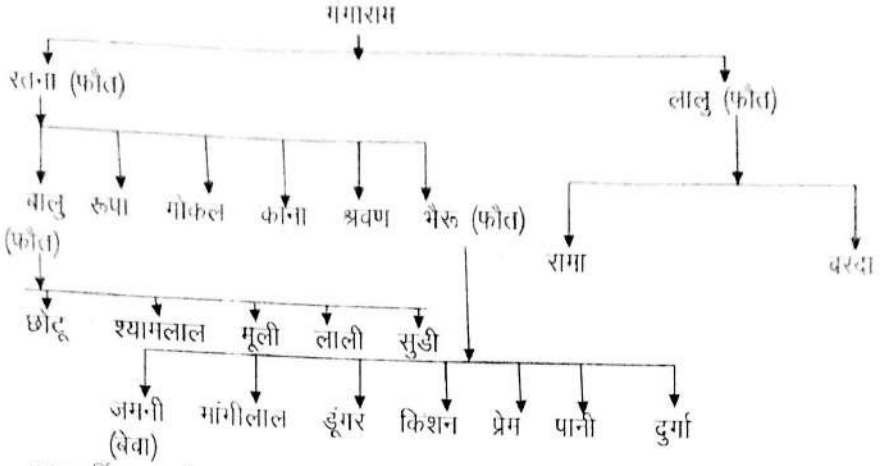

उक्त वर्णित बताये गये शजरे के अनुसार गोकल ने वाद में वर्णित विवादित आराजियात में से अपना हक व हिस्सा अपने भाई बालु जिनके विधिक वारिसान प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 हैं, से जायज प्रतिफल प्राप्त कर अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा विक्रय कर दिया व इसी प्रकार रामा ने भी निवे वादग्रस्त आराजियातों में अपना हक हिस्सा अपने छोटे भाई बरदा को विक्रय कर दिया तथा कब्जा मौके पर उक्त विक्रेताओ अर्थात रामा व गोकल ने वाद में वर्णित विवादित आराजियातो मे कोई हक व अधिकार बाद बिकाव अवशेष नही है और उनके स्थान पर क्रेता बालु व उनके विधिक वारिसान तथा बरदा का ही उनके खरीदशुदा रकबे की भुमि पर कब्जा हो उपयोग उपभोग कर रहे है। इस प्रकार बालु जी की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान अपने हिस्से व क्रमशः गोकल के हिस्से की जमीन क्रय कर लेने से व इसी प्रकार बरदा स्वयं के व अपने भाई रामा के हिस्से की भूमियों पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है । उपरोक्त वर्णित विक्रय पत्रो की छाया प्रति वाद पेश की गई। है ।

विवादग्रस्त आराजियात में से गोकल ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्से की जमीन दिनांक 20/04/1995 को बिल एवज 25,000/ रू बिकाव कर कब्जा बालू व बालू के विधिक वारिसान जो प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 का करा दिया। उक्त विक्रय की दिनांक से गोकल का कोई हक व हिस्सा विवादग्रस्त आराजियात में नहीं है व न कब्जा ही है । इसी प्रकार रामा ने भी उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियातो में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा अपने भाई प्रार्थी संख्या 15 बरदा को दिनांक 05/01/1989 को बिल एवज 4000/- रू में बिकाव कर दिया व बिकाव करने के बाद रामा का विवादग्रस्त जमीन में कोई हक व हिस्सा नही रहा है व न कब्जा ही है। गोकल व रामा के हिस्से की जमीनो पर उक्त क्रेता का ही बाद बिकाव निरन्तर कब्जा हो चला आ रहा हैं ।

इसी तरह खाता संख्या 561 में आराजी संख्या 8917 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम पुर में प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 का अर्थात उनके मोरूसो का एक तिहाई हिस्सा अभिलिखित है व शेष 1/3 हिस्सा रामा, बरदा वल्द लालू तेली का है व अवशेष एक तिहाई हिस्सा रामा वल्द अमरा तेली का है मगर रामा वल्द अमरा तेली निःसन्तान वफात पा गया और उनके कोई प्रथमश्रेणी के विधिक वारिसान नही है व मात्र प्रार्थीगण ही रामा वल्द अमरा तेली के विधिक वारिसान है । इस कारण उसके एक तिहाई हिस्से की आराजियात प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 व 15 में समान हक व हिस्से से निहित हो गई व उन्ही का उक्त वर्णित आराजियात पर कब्जा व दखल हो चला आ रहा है । इस कारण खाता संख्या 561 मे वर्णित विवादित में आराजी संख्या 8917 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा में प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 का आधा हिस्सा है व शेष आधा हिस्सा प्रार्थी संख्या 15 का है। इसी हक व हिस्सेनुसार प्रार्थीगण मौके पर उपयोग उपभोग आदि कर रहे है । काबिज होकर उपयोग उपभोग आदि कर रहे है।

26/12/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

राजस्व ग्राम पुर तह. व जिला भीलवाड़ा के बेरूना हल्के में खाता संख्या 560 मे आराजी संख्या 8916 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा अन्य और आराजियातो के साथ कुल किता 20 रकबा 45 बीघा 10 बिस्वा अवस्थित है और विवादग्रस्त आराजी संख्या 8916 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा जिसमे से 8916/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज हो गई है। जिसमें आराजी संख्या 8916/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा का ही विवाद होने से उसी आराजीयात के बाबत् यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है इस खाते की शेष आराजियातो के बाबत कोई विवाद नहीं है।

इसी प्रकार आराजी संख्या 8916/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा में बालू द्वारा गोकल का हिस्सा क्रय कर लेने से उसका एव उसके विधिक वारिसान जो प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 है का 1/6 हिस्सा व विपक्षी संख्या 06 से लगायत 14 का 1/3 हक व हिस्सा है । इसी प्रकार आराजी संख्या 8916/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा में से रामा द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थी संख्या 15 बरदा का बिकाव कर देने से आराजी संख्या 8916/1 के कुल रकबे में प्रार्थी संख्या 15 बरदा का आधा हक व हिस्सा निहित हो कब्जा व दखल हो चला आ रहा है ।

प्रार्थीगण को आराजी संख्या 8916 व 8917 की जमाबन्दीयो की नकले दिनांक 17/03/2011 प्राप्त करने को ज्ञात हुआ है कि आराजी, संख्या 8916 मे से 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि जिसके बदा नं. 8916/1 कायम कर विपक्षी संख्या 01 जयशंकर के नाम पर गैर खातेदारी से दर्ज कर देने व आराजी संख्या 8917 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा का सम्पूर्ण रकबा भी विपक्षी संख्या 01 जयशंकर के नाम पर दर्ज करने की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की जानकारी की तो ज्ञात हुआ है कि विपक्षी संख्या 01 जयशंकर ने बिना प्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित किये ही व न किये गये वाद की सम्यक तामिल कराये ही आराजी संख्या 8916 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा मे से 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि जिसके बदा नं. 8916/1 गैर खातेदारी से विपक्षी संख्या 01 जयशंकर ने अपने नाम पर दर्ज करवा ली व इसी तरह आराजी संख्या 8917 का सम्पुर्ण रकबा भी विपक्षी संख्या 01 ने बिना प्रार्थीगण को कोई किस प्रकार की सूचना अथवा नोटिस दिये ही राजस्व कर्मचारीयो से मिलाभगती कर अपने नाम पर गलत तरिके से गैर खातेदारी से दर्ज करवा ली यह इन्द्राज प्रार्थीगण के मुकाबले मे सर्वथा गलत होकर निम्न कारणों से काबिले खारिज है:-

आराजी संख्या 8916 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा तन्हा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है। इस खातेदारी अधिकार के रकबे में से कोई भुमि किसी भी तरीके से कानूनन अलोट की ही नहीं जा सकती है । विपक्षी संख्या 01 जयशंकर ने अपने नाम पर गैर खातेदारी से दर्ज करवा ली है।

विपक्षी संख्या 01 जयशंकर राजकीय सेवा में है व उसके यदि कोई जमीन अलोट हुई है तो वह प्रार्थीगण के खातेदारी की जमीन में से न होकर अन्य जमीनों में से हुई होगी। विपक्षी संख्या 01 जयशंकर ने बिना प्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार की सूचना दिये ही उनके पोषीदा तौर पर यह सारी कार्यवाही करवाई है जो विधि विरूद्ध हो काबिल खारिजी के हैं।

विपक्षी संख्या 01 राजकीय सेवा में है व वह नियमानुसार सरकार से बिना ईजाजत प्राप्त किये कोई भुमि का अलोटमेन्ट अपने पक्ष में करवा ही नहीं सकता है । इस प्रकार आराजी संख्या 8916/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा गैर खातेदारी से विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज होना या कराना कतई विधि सम्मत न हो इललिगल है।

अलोटमेन्ट हमेशा बिलानाम भुमि में से ही किया जाता है। इसके अलावा सरकार से जब तक विपक्षी संख्या 01 जयशंकर जो सरकारी नौकरी में हैं । धारा 101 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत बिना सरकार से ईजाजत प्राप्त न कर ले, तब तक अलोटमेन्ट कराने की कतई पात्रता नही रखता है । इस आधार पर भी प्रार्थीगण की भुमि आराजी संख्या 8916/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा व 8917 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा का गैर खातेदारी से विपक्षी संख्या 01 जयशंकर के नाम दर्ज बताना ही अवैधानिक है, इललीगल है, क्योंकि उक्त भुमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार के हो राजस्व माली कागजो मे अभिलिखत हो कब्जे में चली आ रही है।

विपक्षी संख्या 01 जयशंकर ग्राम पुर मे न रहकर राजकीय सेवा में है व काफी वर्षो से वह ग्राम पुर में न रहकर ग्राम खेरमालिया में आवासरत है व वही अपने परिवार सहित रह रहा है। विवादित अलोटसुदा भुमि पर विपक्षी संख्या 01 का कभी कब्जा व दखल नहीं रहा है। उक्त वर्णित आराजी संख्या 8916/1 व 8917 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा पर प्रार्थीगण का ही सदैव से कब्जा व दखल हो प्रार्थीगण ही मौके पर काश्त कर, घास आदि ले व पशु चराकर उपयोग उपभोग कर रहे है। विपक्षी संख्या 01 जयशंकर ने अलोटमेन्ट नियमों के अनुसार अलोटसुदा भुमि पर आज दिन तक कभी काश्त नही की है व न उसका कोई कब्जा ही है। इस कारण विपक्षी संख्या 01 जयशंकर के नाम गलत इन्द्राज आराजी संख्या 8916/1 व 8917 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा प्रार्थीगण के मुकाबले में प्रभावहीन शुन्य है ।

21/8/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण ने विपक्षीगण संख्या 01 ने फेरास फाईल में से जाया रजिस्टर में से कम संख्या 1142 विपक्षी संख्या 01 द्वारा श्रीमती रूपी के विरुद्ध वाद पेश करना बताया गया जबकि रूपी नाम की कोई औरत प्रार्थीगण के परिवार में है ही नहीं व न पहले कभी थी ही। विपक्षी संख्या 01 ने गलत व्यक्तियो को पक्षकार बना आराजी संख्या 8916/1 व 8917 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा का इन्द्राज अपने नाम पर गलत तरिके से दर्ज होने की जानकारी प्रार्थीगण को पेश किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 20.09.2011 व नकल मिलने की दिनांक 21.09.2011 को सर्वप्रथम हुई। इसके पूर्व विपक्षी संख्या 01 जयशंकर द्वारा किये गये वाद की कोई सूचना अथवा नोटिस प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के मोरुशी को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 01 द्वारा कि गई सारी कार्यवाही बिला अधिकार क्षेत्र के होकर काबिल खारिजी के है ।

यह विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को बिना पक्षकार संयोजित किये अथवा सूचना अथवा नोटिस दिये उनके बेक पर कानूनन कोई कार्यवाही की ही नही जा सकती है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 01 के द्वारा की गई कार्यवाही मे प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के मोरूसी को कोई किसी प्रकार की सूचना अथवा नोटिस दिये ही नही गये व न पक्षकार ही संयोजित किये है । विपक्षी संख्या 01 ने गलत तरिके से राजस्व कर्मचारियो से मिलाभगती कर आराजी संख्या 8916 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा मे से 01 बीघा 07 बिस्वा जिसके बट्टा नं. 8916/1 कायम कर व आराजी संख्या 8917 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 04 बिघा 05 बिस्वा का इन्द्राज अपने नाम गलत कराया है जो सर्वथा विधि विरुद्ध हो काबिल खारिजी के हैं।

विपक्षी संख्या 01 का कोई किसी प्रकार से आराजी संख्या 8916/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा व आराजी संख्या 8917 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा वाके पुर पर कोई किसी प्रकार का कब्जा व दखल नही है व न आज दिन तक रहा ही है व न विपक्षी संख्या 01 जयशंकर ने विवादित भूमि पर आज दिन तक कभी कोई काश्त ही की है । बल्कि सदैव से आराजी संख्या 8916/1 व 8917 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा पर कब्जा व दखल प्रार्थीगण का ही मौके पर हो चला आ रहा है।

किसी खातेदार की खातेदारी अधिकार की आराजियात मे से किसी भूमि का अलोटमेन्ट किया ही नही जा सकता हैं। इस आधार पर भी विपक्षी संख्या 01 द्वारा की गई सारी कार्यवाही बिला अधिकार क्षेत्र के होने से काबिल खारिजी के हैं।

विधि का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि विवादित अलोटसुदा भुमि का अलोटमेन्ट होने के बाद पहले साल आधा व अगले साल पूरी विवादित भुमि पर आलोटी द्वारा काश्त किये जाना आवश्यक है, मगर विपक्षी संख्या 01 जयशंकर ग्राम पुर मे न रहकर ग्राम खेर मालिया तहसील छोटी सादड़ी में रह रहा हैं। उसका विवादित भूमि पर कोई किसी प्रकार से कब्जा व दखल नही है व न उसने प्रार्थीगण को विवादित भूमि से कभी बेदखली की कार्यवाही करा कब्जा ही प्राप्त किया है। ऐसी हालत मे कब्जा मुखाल पाने के आधार पर भी विवादित आराजियात पर कब्जा व दखल प्रार्थीगण का ही होने से व प्रार्थीगण ही मौके पर काबिज हो काश्त कर रहे है, घास आदि काट व मवेशी आदि चरा कर बमुकाबले विपक्षी संख्या 1 पीसफुली व होस्टाईली उपयोग उपभोग करते चले आ रहे होने से भी आराजी संख्या 8916/1 व 8917 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा के खातेदारी हक प्रार्थीगण को मिल चुके है प्रार्थीगण का ही निरन्तर कब्जा व दखल पिसफुली व होस्टाईल होने से प्रार्थीगण को आराजी संख्या 8916/1 व 8917 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा में खातेदारी अधिकार बमुकाबले विपक्षी संख्या 1 को प्राप्त हो चुके हैं।

विधि की मान्यता है कि राजकीय सेवा में रहने वाले व्यक्ति को कोई भी भूमि अलोट करने के पूर्व उसे अपने विभाग के अधिकारियो से ईजाजत लिया जाना आवश्यक है जो भी विपक्षी संख्या 01 जयशंकर ने प्राप्त नहीं की है। इस आधार पर भी विपक्षी संख्या 01 आराजी संख्या 8916/1 व 8917 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा पर उसे गैर खातेदारी से दर्ज बताना भी सर्वथा विधि विरुद्ध हो काबिल खारिजी के है।

इस प्रकार उक्त बताये गये कारणों से आराजी संख्या 8916/1 व 8917 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा के खातेदार कृषक प्रार्थीगण है, की घोषणा बमुकाबले विपक्षी संख्या 01 की जाना आवश्यक है इस हेतु यह वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

26/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

राजकीय बिलानाम भुमि में से भुमि अलोट होती है मगर जब विवादित भुमि बिलानाम ही नहीं है तो फिर अलोट करना या बताना ही इललीगल है। बिलानाम भुमि से ही किसी व्यक्ति को भूमि नियमानुसार अलोट की जा सकती है मगर यहां प्रार्थीगण के खातेदारी की भुमि को विपक्षी संख्या 01 के नाम पर गैर खातेदारी से दर्ज करना कतई विधि सम्मत न हो काबिल खारिजी के है प्रार्थीगण का यह भी पुरी तरह से ज्ञात है कि विपक्षी संख्या 01 राजकीय सेवा में होने से वह भूमि को अलोट कराने की कतई पात्रता भी नही रखता है व न उसने इस हेतु सरकार से अनुमती ही प्राप्त की है ना पर्चा रिपुर्दगी ही बना है। बिना कब्जे के मात्र कागजो मे विपक्षी संख्या 01 का नाम राजस्व जमाबन्दी मे बता देने से विवादित भूमि मे विपक्षी संख्या 01 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होता है । इस कारण आराजी संख्या 8916/1 व 8917 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा का विपक्षी संख्या 01 के नाम किया गया इन्द्राज काबिल खारिजी के है।

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में है और अपरिमित हानि भी प्रार्थीगण को ही होगी, यदि विपक्षी संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया जाता है और विपक्षी संख्या 1 द्वारा तथाकथित विवादित आराजियात को आगे विक्रय कर अथवा रहन बय बक्षीस कर हस्तांतरित कर देने पर प्रार्थीगण को विवादित आराजियात पर से जबरन बेदखल कर देने पर अपरिमित हानि प्रार्थीगण को ही होगी जिसकी क्षतिपूर्ति कतई संभव नहीं हो पायगी और पक्षकारों के मध्य अनेकानेक वाद विवाद पैदा हो जायेंगे इस कारण प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानुनन अधिकारी है, विपक्षी संख्या 1 वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बेजा दखलन्दाजी नहीं करें करावें और न ही प्रार्थीगण को विवादित जमीन पर से जबरन बेदखल ही करें और न ही तथाकथित विवादित आराजियात को आगे किसी प्रकार से हस्तांतरित करें व न ही विवादित आराजियात पर किसी भी बैंक अथवा सोसायटीज से ऋण प्राप्त कर रहन का भार ही कायम करें । इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी है जिस हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश है ।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध सादर फरमाई जावें कि विपक्षी संख्या 1 वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बेजा दखलन्दाजी नहीं करें करावें और न ही प्रार्थीगण को विवादित जमीन पर से जबरन बेदखल ही करें करावें और न ही तथाकथित विवादित आराजियात को आगे कोई किसी प्रकार से हस्तांतरित ही करें, करावें व न ही विवादित आराजियात पर किसी भी बैंक अथवा सोसायटी से ऋण प्राप्त कर रहन का भार ही कायम करें करावें । इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 सादर फरमाई जावें ।

विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का जवाब दिनांक 14.03.2012 को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है कि :-

वादीगण प्रार्थीगण का वादग्रस्त जायदाद से कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः वादी/प्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है और अवश्य खारिज होगा।

प्रार्थीगण ने जो सवाल पेश किया है, जो आंशिक स्वीकार नहीं है, लेकिन विपक्षी संख्या 1 ने बालू, रूपा, गोकल, काना, भैरू, श्रवण और रामा, बरदा के विरूद्ध दिनांक 12.01.1982 को धारा 88 व 188 के तहत दावा किया था जिसका मुकदमा नम्बर 201/82 है जो दिनांक 31.01.1987 को जो दावा विपक्षीगण संख्या 1 के पक्ष में प्रार्थीगण के विरूद्ध डिक्री हुआ और बालू के फौत हो जाने की वजह से बालू के वारिस छोटू, श्यामलाल, मूली लाली व सूडी एवं भैरू के फौत हो जाने की वजह से जमनी, मांगीलाल, डूंगर किशना, प्रेम व पानी व दुर्गा को इस मामले में प्रार्थीगण ने वारिस बनाया है।

विपक्षी नं० 1 को दिनांक 27--6--1968 के पूर्व में स्थित भूमि साबिक आराजी नं0 2840/6 मे 5 बीघा अलॉटमेन्ट होने से, जिसका कब्जा विपक्षी सं० 1 को 13--8--1968 को मांगीलाल पटवारी ने देकर पर्चा मौका बनाया था जो सेटलमेन्ट हो जाने के बाद नये आराजी नं0 8917 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा व आराजी नं0 8916 में से पश्चिम का हिस्सा 1 बीघा 7 बिस्वा इस प्रकार कुल मिलाकर 4 बीघा 5 बिस्वा होती है और सेटलमेन्ट के पूर्व 1 बीघा भूमि की जरीब पहले कम थी और सेटलमेन्ट के बाद 1 बीघा के जरीब का नाप ज्यादा या पुरानी जरीब से 3 बिस्वा अधिक थी, इस कारण भी विपक्षी नं० 1 की उपरोक्त जमीन 4 बीघा 5 बिस्वा बनी। तथाकथित भूमि पर विपक्षी नं० 1 का कब्जा दिनांक

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

13-8-68 से विपक्षी नं० 1 खातेदार काश्तकार होकर काबिज चला आ रहा है और उपरोक्त दावा प्रार्थीगण के खिलाफ दावा डिक्री हुआ था क्योंकि सेटलमेन्ट अधिकारी की गफलत व लापरवाही से विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व रामा आत्माजा अमरा तेली के नाम दर्ज हुई। इस कारण विपक्षी नं० 1 ने प्रार्थीगण एवं रूपा आत्मज अमरा तेली एवं राजस्थान सरकार के खिलाफ दावा लाया और प्रार्थीगण के खिलाफ स्वीकार व डिक्री हुआ व तथाकथित डिक्री के अनुसार विपक्षी नं० 1 के पक्ष में आराजी नं० 8916 में से 8916/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा एवं आराजी 8917 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा विपक्षी नं० 1 के पक्ष में डिक्री हुई, जिसका अमल दरामद 13-8-89 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई और तथाकथित भूमि विपक्षी नं० 1 के खातेदार काश्तकार होकर विपक्षी नं० 1 काबिज है। विपक्षी नं० 1 को भूमि अलोट हुई थी, जिस पर विपक्षी नं० 1 दिनांक 13-8-68 से काबिज है। इस कारण विपक्षी नं० 1 स्वतः खातेदार काश्तकार बन गया है।

वादग्रस्त भूमि का गोकल को विक्रय करने का अधिकार नहीं है, इससे विपक्षी संख्या 01 पाबन्द नहीं है। रामा ने भी अगर वादग्रस्त भूमि का कोई बिकाव किया है, उससे विपक्षी संख्या 01 बाध्य नहीं है।

विवादग्रस्त भूमि का विपक्षी नं० 1 खातेदार काश्तकार होकर काबिज है और विपक्षी नं० 1 को भी यह मालूम नहीं है कि तथाकथित भूमि का गोकल व रामा खातेदार काश्तकार नहीं थे क्योंकि विपक्षी नं० 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीगण के खिलाफ पहले दावा हुआ था व डिक्री हो चुका है और वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी नं० 1 मालिक होकर काबिज है, अतः प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है।

वादग्रस्त भूमि से विपक्षी नं० 2 व 3 व प्रार्थीगण का कोई वास्ता नहीं था और विपक्षी नं० 1 की विवादग्रस्त भूमि को किसी ने विक्रय भी किया है, इससे विपक्षी नं० 1 पाबन्द नहीं है।

यह वादग्रस्त भूमि विपक्षी नं० 1 की है, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को 31-1-87 को डिक्री हुई है और डिक्री नामान्तकरण दिनांक 13-8-89 को हुआ है, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को है और यह भी निवेदन है कि विपक्षी नं० 1 के पक्ष में जो दावा डिक्री हुआ था, उसमें प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वज पक्षकार थे।

आराजी नं० 8916 में पश्चिम की तरफ 1 बीघा 7 बिस्वा प्रार्थीगण की नहीं थी, बल्कि विपक्षी नं० 1 की थी। जब भूमि अलोट हुई थी विपक्षी नं० 1 राजकीय सेवा में नहीं था, किसान था व उस भूमि पर काश्त भी करता था और जो अलोटमेन्ट हुआ वह विधि सम्मत हुआ था। विपक्षी नं० 1 उस समय राजकीय सेवा में नहीं था, अतः इजाजत लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बल्कि काश्तकार था और भूमि दावा डिक्री होना राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होना विधि के तहत वाजिब है। प्रार्थीगण बार बार ही मुकदमें को लम्बा करने की वजह से पुनः दावें में दोहराया है क्योंकि अलोटमेन्ट के समय व उसके बाद में विपक्षी नं० 1 खातेदार काश्तकार था, अतः कोई अवैधानिक कार्य नहीं हुआ है। विपक्षी नं० 1 पुर में निवास करता था, खेरमालिया ग्राम में निवास नहीं करता था, जब भूमि अलोटमेन्ट हुई थी, जो दिनांक 27-6-1968 को हुई है, तभी से विपक्षी नं० 1 का कब्जा होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने न तो कभी काश्त की है और न घास काटते है न पशु चराते है न उपयोग व उपभोग करते है और अलोटमेन्ट सन् 1968 का होने से अलोटमेन्ट रूल्स व कानून के तहत सक्षम अधिकारी के यहां कार्यवाही करनी चाहिये, जबकि अलोटमेन्ट हुआ है, उसको 44 वर्ष हो गये है, इस कारण प्रार्थीगण को ऐसा लिखने का सवाल पैदा नहीं होता है और अलोटमेन्ट कैंसल करने का भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रार्थीगण को उनके पूर्वज को बकायदा सूचना देकर दावा डिक्री हुआ था और विपक्षी नं० 1 ने रूपी के खिलाफ दावा नहीं किया। विपक्षी नं० 1 के द्वारा जो दावा किया गया, उसमें प्रार्थीगण व उसके पूर्वज पक्षकार थे, उनके विरुद्ध विधि के तहत दावा डिक्री हुआ था। दावा विपक्षी नं० 1 के पक्ष में डिक्री हुआ था, प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के विरुद्ध एवं विपक्षी नं० 1 के पक्ष में दावा सुनकर डिक्री हुआ था। प्रार्थीगण का विवादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि विपक्षी नं० 1 विवादग्रस्त भूमि के मालिक होकर कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी नं० 1 ने फसल बोई थी और अभी भी विपक्षी नं० 1 का कब्जा चला आ रहा है। विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण ने कभी भी उपयोग व उपभोग नहीं किया है। प्रार्थीगण को तथाकथित भूमि के लिये दावा लाने का अधिकार नहीं है।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी को यह वाद लाने का अधिकार नहीं होता है। पूर्व में दावें में भी प्रार्थीगण पक्षकार थे। विपक्षी नं० 1 के हक में जो डिक्री हुई थी और यही पक्षकार विपक्षी नं० 1 के दावें में थे, अतः प्रार्थीगण पक्षकार होने एवं विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दावा था, अतः यह दावा रेस ज्यूडिकेटा लागू हो जाने से प्रार्थीगण को यह दावा लाने का अधिकार नहीं बनता है न विपक्षी नं० 1 के खिलाफ इन्द्राज खारिज करने का कोई अधिकार बनता है।

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस नहीं है, बल्कि विपक्षी सं० 1. का प्रथम दृष्ट्या मुकदमा है और सुविधा सन्तुलन भी विपक्षी सं० 1 के पक्ष में है। विवादग्रस्त सम्पति विपक्षी सं० 1 के स्वामित्व एवं खातेदारी की होने से उसे हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का अधिकार है और रहन बय करने का भी अधिकार है, जिसमें प्रार्थीगण को किसी तरह का दखल व हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। विवादग्रस्त भूमि के बाबत पक्षकारान के मध्य न्यायालय सहायक कलेक्टर, मुख्यावास, भीलवाडा के यहां वादपत्र विपक्षी सं० 1 के द्वारा पेश किया गया था, जिसमें प्रार्थीगण व उनके पूर्वज पक्षकारान थे और उस दावें को सुनकर विपक्षी सं० 1 के पक्ष में डिक्री हुआ और इस मामले में रेस ज्यूडिकेटा सिद्धान्त के आधार पर कार्यवाही नहीं हो सकती है और न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगण/प्रार्थीगण के हक में अस्थायी निषेधाज्ञा किया गया तो विपक्षी/ विपक्षी सं० 1 को अपूर्णनीय, अपोषनीय क्षति होगी और उसके हक व आशायस पर असर पडेगा।

अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। समस्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया एवं उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला:-
2. सुविधा का संतुलन:-
3. अपूरणीय क्षति:-

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं का पत्रावली का गुणवत्तापूर्ण एवं सम्यक निस्तारण किये जाने हेतु संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन राजकीय कर्मचारी होने के बावजूद भी अपने नाम करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पुर का निवासी नहीं होकर ग्राम खैर मालिया तहसील छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ का निवासी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण अपने पक्ष में किस आधार पर करवाया गया, इसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिली-भगत करते हुए वादग्रस्त भूमि का अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया गया। अप्रार्थी संख्या 01 राजकीय कार्मिक होने से भूमि का आवंटन अपने पक्ष में करवाने हेतु सक्षम नहीं था और नियमानुसार उसे किसी भी प्रकार से कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटन नहीं की जा सकती। अतः वादग्रस्त भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.11.2011 को स्थाई किये जाने का आदेश जारी किया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय भीलवाड़ा में दायर वाद संख्या 201/82 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 31.01.1987 एवं अपील प्रार्थना पत्र संख्या 16/88 की ईजराय में जरिये नामान्तरण संख्या 2094 दिनांक 13.08.1989 को अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। उक्त वाद में प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज पक्षकार कायम किये गये थे। साथ ही विपक्षी संख्या 02 एवं 03 द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद भी वादग्रस्त भूमि का बेचान यदि प्रार्थीगण के पक्ष में किया गया है तो प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है। अतः वादग्रस्त भूमि जरिये न्यायालय निर्णय से अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज होने से माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त करने का आदेश पारित किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिसों का नामान्तरण स्थगन आदेश जारी होने से नामान्तरण दर्ज नहीं हो पा रहा है। अतः स्थगन आदेश समाप्त किया जावे।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में भू प्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि न्यायालय निर्णय की पालना में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज हुई है। अप्रार्थी सख्या 01 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में प्रस्तुत पूर्व वाद में प्रार्थीगण एव उसके पूर्वज पक्षकार कायम किये गये अथवा नहीं, क्या वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में आवंटन विधि सम्मत रूप से किया गया अथवा नहीं, आदि बिन्दुओं का मूल वाद में जरिये साक्ष्य एवं विधि के विवेचन उपरान्त किया जाना है। वर्तमान में मूल वाद तनकी कायम हेतु निर्धारित है, जिसका निकट भविष्य में ही अंतिम निस्तारण होना संभावित है। ऐसी स्थिति में यदि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिसान द्वारा किसी दीगर व्यक्ति को जरिये अंतरण, बेचान, रहन, हस्तान्तरित कर दी जाती है तो उससे नवीन वादकारण उत्पन्न होना स्वभाविक है। ऐसी स्थिति में नवीन वादकारणों को रोका जाना न्यायालय का विधिक दायित्व होने से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रथम दृष्टया साबित होता है। अतएवं

—: आदेश :—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 04 को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 01 की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसान की जांच कर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड का अद्यतन करने की कार्यवाही करे, उक्त स्थगन आदेश विरासत के आधार पर दर्ज होने वाले नामान्तरण पर प्रभावी नहीं होगा।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

26/1/2025

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा